

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/2023/54

दिनांक :- 08.11.2023

:- संशोधित कार्यालय आदेश :-


(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 12.11.2023 के लिये)

मैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 12.11.2023 के लिये कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से संबंधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है, को अधिकृत किया गया था किंतु श्रीमती विनय जयपुरिया के अवकाश पर रहने के कारण अब उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये यह आदेश पारित किया जाता है कि दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 12.11.2023 तक श्रीमती विनय जयपुरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-तीन धौलपुर के स्थान पर डा. नीरू सोनी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-एक, धौलपुर द्वारा सुनवाई की जावेगी। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

क्र. सं.	दिनांक अवकाश	मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर न्याय क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर
1.	दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 12.11.2023	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-एक, धौलपुर	डा. नीरू सोनी मो. 9982656304

नोट:-

- (1) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक रहेगा। उक्त दिनांक के राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त दिनांक के साथ-साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (2) निर्धारित समय में आवश्यक फौजदारी कार्य के प्रार्थनापत्र अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश करने एवं अधिकृत अधिकारी के निवास पर मुल्जिमों को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिमों को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवा कर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु जारी परिपत्रों के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अपनी सुविधानुसार न्यायालय कार्मिकों को उपस्थित रखेगा।
- (3) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- (4) रिमाण्ड ड्यूटी में संशोधन आपसी सहमति के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।
- (5) रिमाण्ड ड्यूटी में संशोधन पूर्व स्वीकृत उपार्जित अवकाश व मुख्यालय परित्याग के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

कमांक: रीडर/2023/ 598

दिनांक : 08.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर ।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. डा. नीरू सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-एक, धौलपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक/जिला जेल/पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
5. कम्प्यूटर सर्वर रूम धौलपुर को अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)